Rcms 2019/0005

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 8/2019 (अपील)

उनवान

रूपसिंह आत्मज हजारी जाति बंजारा निवासी ग्राम मंगलपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक, वन मण्डल कोटा एवं क्षैत्रीय वन अधिकारी कनवास, जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी निर्णय दिनांक 07.11.2012 मिसल नम्बर 07/2012
न्यायालय सहायक वन संरक्षक,कोटा केम्प रेन्ज कनवास, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 09.10.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एंव साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुऐ।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, न्याय एवं संचिका के सिद्वि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा

विपरीत है । अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर उक्त विवादित निर्णय पारित किया है और अपीलाण्ट को किसी प्रकार का कोई साक्ष्य, सबूत व जवाब पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है । अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है । पत्रावली पर पश्चातवर्ती साक्ष्य अतिक्रमण बाबत नही होने पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम लाडपुरा स्थित ख0 नं0 98 रकबा 0.32 है0 भूमि पर केवल मात्र पटवारी हल्का के बयान के आधार पर 30 दिन सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अपीलान्ट ने विवादग्रस्त भूमि पर से कब्जा छोड दिया है और तावान राशि जमा करवा दी है । अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को धारा 91 एल.आर. एक्ट का नोटिस प्रोपर तामिल किये बिना ही एवं कब्जा होना स्वीकार होना मान लिया, जबकि अपीलान्ट न तो कभी अधिनस्थ न्यायालय मे ही उपस्थित हुआ और न कभी कब्जा होना ही स्वीकार किया है । साथ मे प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी पुलिस वाले दिनांक 04.01.2019 को गिरफतार करने पर आने तथा उनके बताने पर हुई ।दिनांक 04.01.2019 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर नकल दिनांक 08.01.2019 को प्राप्त हुई इस प्रकार दिनांक 07.11.2012 से 04.01.2019 तक की अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार की जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 07.11.2012 निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

5. . रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि ने का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा वनभूमि पर कब्जा किया है। अपीलाण्ट को उक्त अतिक्रमित आराजी से पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट व विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट अप्रार्थी का बहस अपील में कथन है कि "अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर उक्त विवादित निर्णय पारित किया है और अपीलाण्ट को किसी प्रकार का कोई साक्ष्य, सबूत व जवाब पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है । अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही आदेश पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है । पत्रावली पर पश्चातवर्ती साक्ष्य अतिक्रमण बाबत नही होने पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम लाडपुरा स्थित ख0 नं0 98 रकबा 0.32 है0 भूमि पर केवल मात्र पटवारी हल्का के बयान के आधार पर 30 दिन सिविल कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अपीलान्ट ने विवादग्रस्त भूमि पर से कब्जा छोड दिया है और तावान राशि जमा करवा दी है रेस्पोडेण्ट अप्रार्थी की ओर से उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि का बहस में कथन रहा है कि "अपीलाण्ट द्वारा वनभूमि पर कब्जा किया है। अपीलाण्ट को उक्त अतिक्रमित आराजी से पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है।" उभय पक्ष की ओर से बहस में किये गये उक्त कथन एंव पत्रावली पर उपलब्ध स्थिति का अवलोकन अनुसार यह पाते है कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि से कब्जा हटा लेने का तथ्य स्वीकार करने से यह साबित है कि उसका विवादित आराजी पर अवैध रूप से कब्जा था । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न बयान सहायक वनपाल हाज नाका आवां रेन्ज कनवास के अनुसार ग्राम लाडपुरा के ख0 नं0 98 की 0.32 है0 वनभूमि पर विगत कई वर्षो से पत्थर की बाउन्ड्रीवाल कर काश्त कर रक्खी है जिससे सिद्व होता है कि अतिक्रमी का विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी होना सिद्व होता है ।

7. अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते परन्तु चूंकि अपीलान्ट के कथनानुसार उसके द्वारा भूमि पर कब्जा छोडना अंकित किया है । अतः नरम रूख अपनाते हुए अपीलान्ट द्वारा तावान जमा कराने व कब्जा हटाने के संबन्ध में अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमित आराजी से वास्तविक रूप से मौके से कब्जा हटा लिया है एवं भविष्य मे पुनः अतिक्रमण नही करेगा के संबंध मे अधिनस्थ न्यायालय मे 15 दिवस मे शपथ पत्र पेश करने तथा कब्जा हटाने की व तावान जमा कराने की पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा करने की शर्त पर सजा निरस्त की जाती है । अन्यथा सिविल कारावास की सजा का आदेश प्रभावी रहेगा ।

8. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

9, निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र कुमार गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा